न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिवाना

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सिरवी ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन सं.10/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्राथीगण
भीमाराम पुत्र पुनमाराम		1.अन्दरपुरी पुत्र लालपुरी
जाति पुरोहित		2.डूंगरपुरी पुत्र लालपुरी
निवासी गुड़ा तहसील सिवाना व		3.तारोदेवी पत्नि लालपुरी
जिला बाड़मेर		4.नेमपुरी पुत्र भूरपुरी
		5.प्रेमपुरी पुत्र बादरपुरी
		6.बीजाराम पुत्र भूरपुरी
		7.भागुपुरी पुत्र भोपालपुरी
		8.मोहनपुरी पुत्र भूरपुरी
		9.विशनपुरी पुत्र लालपुरी
		10.हवा पुत्री लालपुरी
		11.आम्बा पुत्री ओखपुरी
		12.उगमपुरी पुत्र भूरपुरी
		13.उर्मिलादेवी पत्नि राजेशजी
		14.कैलाशपुरी पुत्र भूरपूरी
		15.गमादेवी पत्नि भोपालपुरी
		16.गुलाबपुरी पुत्र लालपुरी
		17.छगनपुरी पुत्र गोपालपुरी

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

18.जबरपुरी पुत्र लालपुरी जाति स्वामी

निवासी सा.देह खातेदार

19.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

सिवाना

20.शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. बैक शाखा

सिवाना

21.सुन्दरदेवी पत्नि छोगपुरी जाति स्वामी

निवासी थानमाता हिंगलाज तहसील

सिवाना व जिला बाड़मेर

22.अर्जुनपुरी पुत्र रंगपुरी

23.धेवरपुरी पुत्र रंगपुरी

24.पदमपुरी पुत्र रंगपुरी

25.मोहनपुरी पुत्र रंगपुरी

26.हंजारपुरी पुत्र रंगपुरी जाति स्वामी

निवासी थानमाता हिंगलाज

तहसील सिवाना व जिला बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

उपस्थित—1. श्री खीमाराम आकबल,वकील प्रार्थीगण की ओर से।

2. एकतरफा—विप्रार्थीगण

आदेश

दिनांक— 05.9.19

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है। कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 386 रकबा 1.3678 हैक्टयर किस्म धोरा ग्राम थानमाता हिंगलाज तहसील सिवाना में अवस्थित है,प्रार्थीगण के खेत के आवागमन का एक मात्र रास्ता प्रार्थीगण के खेत के बदिशा उत्तर की तरफ खसरा नम्बर 390 के पश्चिमी माठ के जुड़ता हुए आगे खसरा संख्या 380 के पश्चिमी माठ के जुड़ते हुए आगे खसरा संख्या 379 के पश्चिमी कौन से जुड़ते हुए आगे कटाण के रास्ते पर जुड़ता स्थित है,जिसका नजरी नक्शा अनुसार मार्ग ए से बी बरंग लाल जो चौड़ाई में 20 फीट दर्शित किया गया है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 18 व 21 से 26 के उक्त खसरो में से चल रहे कदीमी प्रचलित रासते से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थीगण बरसात के मौसम में उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने मे समस्या आती है। और बरसात के समय खेत जोत होने के कारण विप्रार्थीगण को कदीमी रास्ते से चलनें से रोक टोक भी की जाती रहती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

है। अतः प्रार्थीगण ने ग्राम थानमाता हिंगलाज तहसील सिवाना की खसरा संख्या 379,380 व 390 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकार्ड मे सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 13 व 21 की ओर से अधिवक्ता श्री जयप्रकाश रामदेव द्वारा वकलातनामा पेश किया गया,निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार किया जाता है,तो उन्हें कोई आपर्ति नहीं है। शेष विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विवादित भूमि की मौका रिर्पोट तहसीलदार सिवाना से प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल की गई।

3.प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में खसरा संख्या 379,380,390 में रास्ता चाहा गया। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका जांच रिर्पोट में खसरा संख्या 380,390 के साथ खसरा संख्या 379 में भी रास्ता प्रस्तावित किया गया। जो खसरा संख्या 379 के खातेदारान पक्षकार नहीं होने पर प्रार्थी पक्ष द्वारा उन्हें पक्षकार बनानें का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जानें पर स्वीकार कर विप्रार्थी संख्या 22 से 26 पक्षकार बनाया गया। लेकिन बावजुद नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने उनके विरूद्व भी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

4. उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 386 रकबा 1.3678 हैक्टयर किस्म धोरा ग्राम थानमाता हिंगलाज

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

तहसील सिवाना में अवस्थित है। प्रार्थीगण के खेत के आवागमन का एक मात्र रास्ता प्रार्थीगण के खेत के बदिशा उत्तर की तरफ खसरा नम्बर 390 के पश्चिमी माठ के जुड़ता हुए आगे खसरा संख्या 380 के पश्चिमी माठ के जुड़ते हुए आगे खसरा संख्या 379 के पश्चिमी कौन से जुड़ते हुए खसरा संख्या 324 आगे कटाण के रास्ते पर जुड़ता स्थित है,जिसका नजरी नक्शा अनुसार मार्ग ए से बी बरंग लाल जो चौड़ाई में 20 फीट दर्शित किया गया है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 18 व 21 से 26 के उक्त खसरो में से चल रहे कदीमी प्रचलित रासते से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थीगण बरसात के मौसम में उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने मे समस्या आती है। और बरसात के समय खेत जोत होने के कारण विप्रार्थीगण को कदीमी रास्ते से चलनें से रोक टोक भी की जाती रहती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका जांच रिर्पोट के अनुसार रासता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी स.1 से 18 व 21 से 26 को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

5.विप्रार्थी संख्या 13 व 21 की ओर से अधिवक्ता ने दौरानें बहस कथन किया गया कि तहसीलदार सिवाना की रिर्पोट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किये जाने पर सहमत है।

6. हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड एवं मौका रिर्पोट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। तहसीलदार सिवाना की रिर्पोट के अनुसार प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि ग्राम थानमाता हिंगलाज तहसील सिवाना की खसरा संख्या 385,386 रकबा क्रमशः 1.1817,1.3678 हैक्टयर किस्म धोरा से होकर सरकारी कटाण मार्ग तक पहुँचनें के लिए खेत खसरा संख्या 379,380,390 में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थी की ओर से चाहे गए रासतें के अलावा प्रार्थीगण के खेत तक आवागमन हेतु कोई कटाण रासता/सड़क उपलब्ध नहीं है,प्रार्थी के खेत तक आवागमन हेतु चाहे गए रासता के अलावा कोई मार्ग/सड़क जिस पर मुरड़ा डाला हुआ हो,उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए खसरें में से रास्तें के अलावा उसके खेत में आवागमन हेतु अन्य किसी खसरें से कोई नजदीक रास्ता उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार रासते हेतु विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 379,380 व 390 का रासता प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित भूमि में पूर्व में कोई रास्ता प्रस्तावित नहीं है। उक्त प्रस्तावित भूमि खसरा संख्या 379 की डी.एल.सी. दर 59256/- व प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 380 की डी.एल.सी.दर 29628/- एवं प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 390 की भी डी.एल.सी.दर 29628/प्रति बीधा -है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थीगण से दिलवाने जाने का प्रावधान है,एवं विप्रार्थी संख्या 13 व 21 द्वारा प्रार्थीगण को रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

दिये जाने पर सहमत है,एवं शेष विप्रार्थीगण के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुई. विप्रार्थीगण बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। यदि उक्त विप्रार्थी को प्रार्थीगण के आवेदन के संबध में कोई आपर्ति होती,तो वें न्यायालय में चाराजोही कर सकतें थे,लेंकिन उक्त विप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। इससे प्रतीत होता है। कि उक्त विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के आवेदन स्वीकार किये जानें की मौन स्वीकृति है। उपयुर्क्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अपरिहार्य आवश्यकता है। और उक्त रासते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रासता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी रास्ता पाने का हकदार है। प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6.लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार रासता स्वीकृत किया जाता हैः— मौजा थानमाता हिंगलाज

क्र. स.	ख. स.	रकबा (बीधा)	खातेदारान का नाम	प्रस्तावित रकबा	खातेदारान हिस्सा	डी.एल.सी.दर (प्रति बीधा)	रास्तें की भूमि का रकबा की दो गुणा कुल कीमत
1	379	0.15	हंजारपुरी पुत्र रंगपुरी कौम स्वामी सा.थान माता हिंगलाज	0.01	1/5	59256/	1185/–
2	379	0.15	पदमपुरी पुत्र रंगपुरी कौम स्वामी सा. थानमाता	0.01	1/5	59256/	1185/
3	379	0.15	मोहनपुरी पुत्र रंगपुरी कौम स्वामी सा. हिंगलाज	0.01	1/5	59256/	1185/

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिवाना (बाड़मेर)

4	379	0.15	धेवरपुरी पुत्र रंगपुरी कौम स्वामी सा. हिंगलाज	0.01	1/5	59256/	1185/
5	379	0'.15	अर्जुनपुरी पुत्र रंगपुरी कौम स्वामी सा. हिंगलाज	0.01	1/5	59256/	1185/
6	380	11.10	सुन्दरदेवी पत्नि छोगपुरी कौम स्वामी सा.हिंगलाज	0.13	सम्पूर्ण	29628/	38516/
7	390	12.02	भागुपुरी पुत्र भोपालपुरी कौम स्वामी सा. हिंगलाज	0.10	1/72	29628/	412/
8	390	12.02	छगनपुरी पुत्र भोपालपुरी कौम स्वामी सा.हिंगलाज	0.10	1/72	29628/	412/
9	390	12.02	धमादेवी पत्नि भोपालपुरी कौम स्वामी सा.हिंगलाज	0.10	1/72	29628/	412/
10	390	12.02	उगमपुरी पुत्र भूरपुरी कौम स्वामी सा. हिंगलाज	0.10	1/24	29628/	1235/
11	390	12.02	बीजापुरी पुत्र भूरपुरी कौम स्वामी सा. हिंगलाज	0.10	1/24	29628/	1235/
12	390	12.02	मोहनपुरी पुत्र भूरपुरी कौम स्वामी सा. हिंगलाज	0.10	1/24	29628/	1235/
13	390	12.02	कैलाशपुरी पुत्र भूरपुरी कौम स्वामी सा. हिंगलाज	0.10	1/24	29628/	1235/
14	390	12.02	नेमपुरी पुत्र भूरपुरी कौम स्वामी सा. हिंगलाज	0.10	1/24	29628/	1235/
15	390	12.02	जबरपुरी पुत्र लालपुरी कौम स्वामी सा. हिंगलाज	0.10	1/28	29628/	1058/
16	390	12.02	गुलाबपुरी पुत्र लालपुरी कौम स्वामी सा. हिंगलाज	0.10	1/28	29628/	1058/

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * सिवाना (बाड़मेर) *

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

17	390	12.02	विशनपुरी पुत्र लालपुरी कौम स्वामी सा. हिंगलाज	0.10	1/28	29628/	1058/
18	390	12.02	इन्द्रपुरी पुत्र लालपुरी कौम स्वामी सा. हिंगलाज	0.10	1/28	29628/	1058/
19	390	12.02	डूगरपुरी पुत्र लालपुरी कौम स्वामी सा. हिंगलाज	0.10	1/28	29628/	1058/
20	390	12.02	हवा पुत्री लालपुरी कौम स्वामी सा. हिंगलाज	0.10	1/28	29628/	1058/
21	390	12.02	तारा पत्नि लालपुरी कौम स्वामी सा. हिंगलाज	0.10	1/28	29628/	1058/
22	390	12.02	प्रेमपुरी पुत्र बुदरपुरी कौम स्वामी सा. हिंगलाज	0.10	1/4	29628	7407/
23	390	12.02	उर्मिलादेवी पत्नि राजेश कौम संत सा.सिवाना	0.10	1/8	29628/	3704/
24	390	12.02	संतोषदेवी पत्नि भरतकुमार कौम संत स.सिवाना	0.10	1/8	29628/	3704/
महायोग–74073/–अक्षरे चौहातर हजार तियोतर रूपयें मात्र							74073/–

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय सिवाना (बाड़मेर)

तहसीलदार सिवाना द्वारा पत्र कमांक 3348 दिनांक 31.7.2019 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के सलंग्न दर्शित नक्शे में बरंग लाल ए से बी दरसाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति कुल राशि–74073/–अक्षरे चौहोतर हजार तियोतर रूपयें मात्र तहसील कार्यालय सिवाना मे संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार का रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

सिवाना के पत्र कमांकःराजस्व/2019/3348 दिनांक 31.7.2019 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 05.09.19 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2019.12.10 18:27:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: